समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के आवंटन आदेश सं0-851, दिनांक-03.05.2019 के द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-अनुग्रहित राहत, उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति, विपत्र कोड-39-2245-02-101-0002-NA, Allotment ID-42489 मद में कुल मो0-20,00,000/- (मो0-बीस लाख) रुपये मात्र मात्र आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन निम्न शर्तो के अधीन निम्नवत् उपावंटित किया जाता है :-

क0 सं0	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व में उपावंटन की गई राशि	वर्त्तमान में उपावंटन की राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5
01	अंचल अधिकारी, मधेपुरा	-	2,50,000=00	2,50,000=00
02	अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर	-	1,50,000=00	1,50,000=00
03	अंचल अधिकारी, शंकरपुर	-	1,50,000=00	1,50,000=00
04	अंचल अधिकारी, गम्हरिया	-	50,000=00	50,000=00
05	अंचल अधिकारी, घैलाढ़	-	50,000=00	50,000=00
06	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	-	1,50,000=00	1,50,000=00
07	अंचल अधिकारी, कुमारखंड	-	3,00,000=00	3,00,000=00
08	अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा	-	1,00,000=00	1,00,000=00
09	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	-	1,50,000=00	1,50,000=00
10	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	-	1,50,000=00	1,50,000=00
11	अंचल अधिकारी, पुरैनी	-	1,00,000=00	1,00,000=00
12	अंचल अधिकारी, चौसा	-	2,00,000=00	2,00,000=00
13	अंचल अधिकारी, आलमनगर	-	2,00,000=00	2,00,000=00
	कुल-	-	**20,00,000=00**	**20,00,000=00**

(मो0-बीस लाख रुपये)।

उपावंटन की शर्ते :-

(1) इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-अनुग्रहित राहत, उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति, विपत्र कोड-39-2245-02-101-0002-NA, Allotment ID-42489 मांग संख्या-39 विस्तृत शीर्ष-37-अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष-01 अनुग्रह अनुदान मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(2) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

(3) उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के

साथ आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक–15.03.2020 तक शीघ्र भेज दिया जाय।

(4) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष /उपमुख्य शीर्ष –लघु शीर्ष /उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष /उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए, अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(5) यह आवंटन अग्निकाण्ड के लिए निर्गत किया जा रहा है। इस राशि का उपयोग आवश्यकतानुसार चक्रवात के मद्देनजर भी किया जा सकता है।

(6) आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक–1642/आ0प्र0 दिनांक–22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए।

(8) पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो सके, तो 15.03.2020 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

(9) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक–15.03.2020 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/–
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक :261/ आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक :25/06/2019

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अधोहस्ताक्षरी के पासवर्ड आई0डी0 से संबंधित अंचलाधिकारी को उपावंटित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– अनुमंडलाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

25/6
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

Md.Salam/C-Operator/D-drive/2019/Awantan/F.Y.-19-20/Head-0002